competence either to organize the plant or to run it. For a certain period the training has to be given to them.

MASTER PLAN FOR DELHI

*95. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have received proposals to revise the Master Plan for Delhi;

(b) whether Government have received any communication about this from the Delhi Administration; and

(c) if so, the reactions of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No, but changes in the land use prescribed in the Master Plan for Delhi have been allowed, wherever they were found necessary, in accordance with the provisions of the Delhi Development Act, 1957.

(b) No.

(c) Does not arise.

श्री कंवरलाल गुप्त : दिल्ली में करीब 210 कालोनीज अनआथराइज्ड हैं और उन में 55 हजार प्लाट हैं। उन में से 30 हजार प्लाटों पर मकान बने हुए हैं जिन में 5 लाख आबादी रहती है। चूंकि उन में से अधिकांश मास्टर प्लान की ग्रीन बेल्ट में आते हैं, इस लिये वह रेगुलराइज नहीं हुए हैं। उन को नोटिसें दी जा रही हैं कि उन का डिमालिशन कर दिया जायेगा। इस का मतलब यह होगा कि कम से कम 7 या 8 करोड़ रुपया जो उन पर खर्च हुआ है वह वेस्ट हो जायेगा। क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे उन अनआथराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज करने के लिये क्या वह मास्टर प्लेन में कुछ परिवर्तन करेंगे ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो और जो 20 हजार प्लाट बाकी बचे हैं उन पर मकान बन जायें तथा आज तक जो उन के सिर पर तलवार लटक रही वह दूर हो जाये ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक अनआथराइज्ड कालोनीज का ताल्लुक है, मास्टर प्लान को रिवाइज करने का अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अनआथराइज्ड कालोनीज को किस प्रकार रेगुलराइज किया जा सकता है, इस के लिये हम ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन से कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट दे और बतलाये कि कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं, हर एक कालोनी में कौन सी जगह रेगुलराइज हो सकती है और कौनसी नहीं। उस के बाद फिर हम देखेंगे उस में क्या कुछ तब्दीली करने की जरूरत है।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 50 हजार प्लाट हैं, उन में से 30 हजार तो बने हुये हैं, 20 हजार प्लाट बाकी बचते हैं। यह भी कहा गया है कि जिस जगह पर अनआथराइज्ड कालोनीज हैं उन में से कौन सी रेजिडेंशल हैं और कौन सी नान-रेजिडेंशल, उस को भी देखें। वह इस को देखेंगे। देखने के बाद जब वह गवर्नमेंट को बतलायेंगे तभी हम सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यह आज नहीं बतलाया जा सकता कि हम को क्या करना है।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि जब यह मास्टर प्लान बनाया गया था, तो यह अन्दाज़ा लगाया गया था कि दिल्ली की आबादी हर साल लगभग एक लाख के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन उस के मुकाबले में मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की आबादी डेढ़ और दो लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, जिस की वजह से सब कैलकुलेशन ग़लत साबित हो रहा है और यहां की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो रही है। होम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में जो कमेटी बनाई थी, मंत्री महोदय खुद भी उस में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह रीकमेंडेशन दी है कि मास्टर प्लान को रिवाइज किया जाये। मंत्री महोदय कहते हैं कि मास्टर प्लान को रिवाइज करने की

कोई योजना नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में जल्दी कार्यवाही न की गई, तो बाद में तकलीफ़ होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी दिक्कतें उन के नोटिस में आई हैं।

श्री इकबाल सिंह: दिल्ली में हर साल एक लाख आदमी आने की उम्मीद पर यह मास्टर प्लान बनाया गया था और उस के बजाये हर साल दो लाख आदमी आ रहे हैं। इस के लिए हम डेन्सिटी के पैटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जिन एरियाज में कम लोगों के लिए जगह थी, वहां ऊंचे मकान बनाए जायें, ताकि वहां पर ज्यादा आदमी रह सकें और उन के लिए मुनासिब फैसिलिटीज और फ़ायदों का इन्तज़ाम किया जाये। लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मास्टर प्लान को बदल दिया जाये।

श्री कंवरलाल गुप्त: मैंने मास्टर प्लान को बदलने के लिए नहीं, रिवाइज और रीव्यू करने के लिए कहा है।

श्री इकबाल सिंह: जिस कमेटी में मैं और आनरेबल मैम्बर हैं, उस को बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उस को रिकमेंडेशन्ज गवर्नमेंट के पास गई है।

डा० सुशीला नायर: क्या यह सही नहीं है कि जितनी ज्यादा छूट दी जाती है, दिल्ली में उतने ही ज्यादा अनआथराइज्ड स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं और कैपिटल बिल्कुल खराब होता जा रहा है? मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जिस से इस किस्म के अनआथराइज्ड स्ट्रक्चर आगे से न बनें और उन में वृद्धि न हो?

श्री इकबाल सिंह: इस सिलसिले में कुछ लोग तो वे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट लैंड पर अनआथराइज्ड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और जो झुग्गी-झोंपड़ी की कैटेगरी में आते हैं। उन के बारे में होम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी, जिस ने अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्टर को दे दी है। उस के बारे में सोचा जा रहा है। उस के अलावा कुछ अनआथराइज्ड कालोनीज भी बहुत देर पहले की बनी हुई है। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि आइन्दा वे न बनें। अगर दिल्ली को एक अच्छा और खूबसूरत शहर बनाना है, तो यह ज़रूरी है कि यहां पर लोगों को अनआथराइज्ड तौर पर कोई स्ट्रक्चर, या कालोनीज वगैरह बनाने से रोका जाए।

श्री राम चरण: मास्टर प्लान के मातहत जो जमीनें खाली कराई जायेंगी या कराई जा रही हैं, उन में अधिकतर लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स या लो इनकम के हैं। मास्टर प्लान के नाम पर उन की झौंपड़ियों को तोड़ कर उन को उसी तरह शहर से दूर फैंका जा रहा है, जिस तरह पुराने ज़माने में हिन्दू लोग शूद्रों और चांडालों को शहर से बाहर बसाते थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मास्टर प्लान को बदलने जा रही है या नहीं, जिस से झौंपड़ी वाला जहां रहता है, उस को वहीं रहने दिया जाये। दिल्ली में जनसंघ की हुकूमत है, लेकिन सैंटर में तो कांग्रेस की हुकूमत है, इस लिए इसके लिये कांग्रेस रेसपांसीबल है।

श्री इकबाल सिंह: जहां तक ज़मीन को आबाद करने का ताल्लुक है, दिल्ली की 55 हज़ार एकड़ जमीन, ...

श्री कंवरलाल गुप्त: 65 हज़ार एकड़।

श्री इकबाल सिंह .....जिस पर गरीब अमीर सब रहते हैं, एक्वायर की जा रही है, ताकि उस के प्लाट्स बना कर बेचे जायें। जहां तक लोगों को उठाने का सवाल है, हम नहीं चाहते कि गरीबों या हरिजनों की झौंपड़ियों को गिराया जाये और वे तबाह हों, लेकिन जो शख्स गवर्नमेंट की ज़मीन पर बैठा है, जहां पर उस को बैठने का हक़ नहीं न, हम उस को उठाते हैं। इस में गरीब और अमीर का सवाल नहीं है। पिछली दफ़ा यहां कहा गया था कि कुछ अमीर आदमियों को भी उठाया गया था। चाहे ग़रीब हो या

अमीर, जो गवर्नमेंट की ज़मीन पर बैठा है, उस को उठाया जायेगा।

SHRI S. KUNDU : There is an important question.....

MR. SPEAKER : I know it is an important question. Will the hon. Member kindly sit down ?

SHRI S. KUNDU : The jhuggiwallas and jhompriwallas have been thrown out of their dwellings, and entire huts have been demolished....

MR. SPEAKER : Will the hon. Member kindly sit down ? He cannot get up like this and go on putting questions. He cannot get any precedence over the others, who have tabled the question.

SHRI S. KUNDU : The hon. Minister says that they are on Government land, and, therefore, they are being thrown out....

MR. SPEAKER : Order, order. Nothing that the hon. Member says will be recorded.

I know that it is an important question and that is why I am asking the Member to put questions one by one.

SHRI BRAHM PRAKASH : The Delhi Master Plan envisaged two things. One is that they had made a certain population projection for the Master Plan in the territory of Delhi. They also envisaged that in order to check the concentration of population in Delhi, the adjoining areas in the States of U.P. and Haryana will also be developed. What steps have been taken in that connection ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दिल्ली में कितने आदमी आए हैं उन में से कितने आदमियों के रहने का इन्तजाम किया जाये, कितने मकान बनाए जायें और क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जायें, अगर यहां पर ज्यादा आदमी आ गए हैं, तो उस के लिए हम रिविज़न कर रहे हैं, डेन्सिटी का भी और फ़ैसिलिटीज़ का भी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दिल्ली को अच्छा शहर बनाने के लिए उस के इर्द-गिर्द के शहरों को भी डेवेलप किया जाये, उस के लिए हम ने एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई है, जिस की मीटिंग्ज में हम हरियाणा, यू० पी० और राजस्थान के चीफ़ मिनिस्टर्ज़ को कहते हैं कि वे भी मास्टर प्लान के मुताबिक अपने शहरों और एरियाज़ को इस तरीके से डेवेलप करें, ताकि दिल्ली का नक्शा और अच्छा बन सके।

श्री बलराज मधोक : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और उन के अन्दाज़े से अधिक बढ़ रही है, इसलिये वह डेन्सिटी का पैटर्न बदल रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मास्टर प्लान बना हुआ है, उस में बदल की आवश्यकता है। जब वह स्वयं यह स्वीकार करते हैं और दिल्ली के जो हालात हैं, वे हर आंखों वाले को बता रहे हैं कि मास्टर प्लान में बदल की ज़रूरत है, तो क्या इस बदल को लाने के लिए वह इस बात के लिए तैयार हैं कि एक छोटी सी कमेटी बनाई जाये, जिस में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली सरकार के नुमायंदे हों, वह कमेटी इस सारे मास्टर प्लान पर दिल्ली के पिछले दस साल के डेवेलपमेंट्स के प्रकाश में पुनर्विचार करे कि किस तरह इस प्लान को दिल्ली की आवश्यकताओं और दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार ढाला जा सकता है, जिस से दिल्ली की डेवेलपमेंट की योजना को कम से कम नुक्सान हो और जनता को सुविधा मिले ?

श्री इकबाल सिंह : यह मास्टर प्लान 1956 से शुरू हुआ और 1962 में उस का कनसैप्शन कम्पलीट हुआ। उस के बाद उस के मुताबिक ज़ोनल प्लान्ज़ तैयार होने हैं। तकरीबन 82 ज़ोनल प्लान्ज़ तैयार हो चुके हैं। उन में से कुछ डी० डी० ए० के पास हैं, कुछ म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमेंट के लिए गए हैं और कुछ गवर्नमेंट ने मन्जूर कर लिये हैं। अगर हम मास्टर प्लान के कनसैप्ट को रिवाइज़ करते रहेंगे, तो वह कभी भी

पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये इस सिलसिले में कोई कमेटी बनाने का कोई इरादा नहीं है। बल्कि उस कनसैप्शन को लागू करना है। अगर कहीं कोई मुश्किलात हो, तो गवर्नमेंट को इस बात का अख्त्यार है कि अगर कोई एरिया किसी खास काम के लिये मुकर्रर किया गया है और उस की किसी दूसरे काम के लिए जरूरत हो, तो वह उस में चैंज कर सकती है।

आज भी गवर्नमेंट के पास अख्त्यार है, वह बदलते रहते हैं। लेकिन इस किस्म की कमेटी बनाने का कोई इरादा नहीं है।

SHRI PILOO MODY : Delhi is perhaps the only major city in this country which has any real master plan at all, but unfortunately the concept of a master plan has been thought of as a static one and nothing has been done to keep the master plan up to date from year to year. In fact, the entire implementation of the master plan has been proliferated in God knows how many agencies, with the result that this matter has left the hands of the technicians and got into the hands of politicians. As you heard the Minister saying just now, the Chief Minister of Haryana, Punjab etc. are meeting to decide what to do as if they knew what there was to be done. Therefore, I would like to know whether the Government has any plan of restoring the master plan back into the hands of the technicians and taking it away from the hands of the politicians.

SHRI IQBAL SINGH : We are acting on the advice of the architects and technicians, the plan was prepared by them, but as far as changes in the master plan are concerned, there are more pressures for it than implementing the master plan. We are resisting those pressures, we want the master plan to be implemented in that spirit.

MR. SPEAKER : Shri Vasudevan Nair. Next question.

SHRI SHEO NARAIN : You have passed on to the next question.

MR. SPEAKER : That is why I asked you not to go to the Krishna waters, it is in South India. If he is an expert in all subjects, Delhi, Krishna, Godavari etc., I cannot help it. I told him pointedly.

PROHIBITION

*96. SHRI VASUDEVAN NAIR : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether a number of State Governments have already scrapped Prohibition in their States;

(b) if so, the reasons advanced by these State Governments for scrapping Prohibition;

(c) whether the Central Government have reviewed its policy on Prohibition in the light of these developments; and

(d) if so, the results thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) So far prohibition has been withdrawn from the dry areas of Kerala covering four districts and Haryana covering one district. In Madhya Pradesh the Madhya Pradesh Prohibition Act, 1938 has been repealed *w.e.f.* 1st August, 1967.

(b) The Haryana Government stated that they lifted prohibition to eliminate malpractices, to stop smuggling and to get legitimate revenues. Kerala did not assign any specific reason and no information is available about Madhya Pradesh.

(c) There has been no change in the Policy of the Central Government.

(d) Does not arise.

SHRI VASUDEVAN NAIR : Already, quite a number of State Governments have thought it fit and necessary to relax or even to scrap prohibition. Is it not a fact that several other Governments including many Congress Governments have been pressing the Centre to make good the revenue that they are losing because of the imposition of prohibition in those States, and may I know whether the Central Government has agreed to advance the money that they need in order to compensate the revenue that they lose by prohibition ?